खबर संक्षेप

भोपाल में बदमाश पति-पत्नी ने की फायरिंग

भोपाल। भोपाल में पति-पत्नी ने एक घर में फायरिंग कर दी। घटना शुक्रवार सुबह की है। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। फायरिंग की घटना के बाद आरोपी पति और पत्नी फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, रेहाना बेगम (50) निवासी कम्मू का बाग, ऐशबाग ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनका बड़ा बेटा मो. तारिक अपनी फैमिली के साथ करोंद गया हुआ था, तभी दानिश अली और उसकी पत्नी रिमशा उनके घर के बाहर पहुंचे। आरोपी दानिश हाथ में पिस्टल लिए था और दोनों पति-पत्नी रेहाना के छोटे बेटे गुराज को गालियां दे रहे थे। शोर सुनकर जब मोहल्ले वाले जमा हुए और रेहाना ने जाली वाले दरवाजे से झांका, तो बदमाशों ने सीधे उन पर फायरिंग कर दी। हालांकि गोली उन्हें नहीं लगी और लोहे के गेट से टकरा गई। आरोपी ने दो और राउंड फायर किए और फरार हो गया। जनवरी महीने में ईटखेड़ी थाना क्षेत्र में दानिश और उसकी पत्नी पर हमला हुआ था, जिसमें वे घायल हो गए थे। उस मामले के मुख्य आरोपी फिलहाल जेल में हैं, लेकिन गुराज नामक आरोपी अभी भी फरार है।

एनेस्थीसिया का ओवरडोज लेकर मेल नर्स का सुसाइड

भोपाल। भोपाल के भानपुर इलाके में रहने वाले मेल नर्स ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेकर सुसाइड कर लिया। शुक्रवार सुबह भाई ने देखने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चेक करने के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। सुसाइड नोट नहीं मिलने से खुदकुशी के सही कारण का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार दोपहर को पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। 26 वर्षीय दुर्गेश अहिरवार पिता मोर सिंह अहिरवार मूल रूप से कुरवाई जिला विदिशा का रहने वाला था। फिलहाल भोपाल में रहकर प्राइवेट कॉलेज से बी फार्मेसी लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। इसी के साथ एक प्राइवेट नर्सिंग होम में नर्सिंग जॉब भी करता था। शुक्रवार सुबह मृतक का बड़ा भाई परीक्षा देने के लिए घर से निकल रहा था। तभी उसने छोटे भाई को उठाना चाहा। कई बार आवाज देने पर भी उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई। आनन फानन में भाई उसे लेकर पास के एक अस्पताल में पहुंचा।

ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत

भोपाल। भोपाल के ऐशबाग इलाके में रहने वाले बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वे रेलवे ट्रैक को पार कर रहे थे। तभी हादसे का शिकार हुए। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। 65 वर्षीय इशरत अली ओल्ड सुभाष नगर के रहने वाले थे। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे बाग फरहत अफजा में रहने वाले अपने भाई से मिलने जा रहे थे। इस वक्त थाने के करीब पटरी पार करते समय उन्हें एक ट्रेन ने चपेट में ले लिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इशरत पूर्व में टेलरिंग वर्क करते थे हालांकि इन दिनों में घर में ही रहते थे।

थीसिस की डेडलाइन बढ़ाने की मांग: जूनियर डॉक्टरों ने विश्वविद्यालय को लिखा पत्र

भोपाल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क मध्यप्रदेश ने एमडी/एमएस (2023-2026 बैच) के पीजी स्टूडेंट्स के लिए थीसिस जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग उठाई है। संगठन ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर प्रशासन को औपचारिक पत्र भेजकर 30 अप्रैल 2026 तक समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि क्लिनिकल ड्यूटी, जिला रेजिडेंसी और परीक्षाओं के दबाव के चलते वे निर्धारित समय में शोध कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त समय जरूरी है। IMA JDN के अनुसार वर्तमान में पीजी छात्र अस्पतालों में लगातार क्लिनिकल जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।

भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदने की होड़

रेट बढ़ने से पहले रजिस्ट्री ऑफिसों में उमड़ी भीड़, बढ़ी डिमांड

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

राजधानी भोपाल में प्रॉपर्टी के बढ़ते दामों की आहट के बीच रजिस्ट्री कार्यालयों में इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कलेक्टर गाइडलाइन में संभावित बढ़ोतरी से पहले लोग तेजी से जमीन और मकानों के सौदे फाइनल कर रहे हैं। वहीं, नवरात्र के शुभ मुहूर्त ने इस खरीदारी को और गति दे दी है। अपने शहर के ई-पेपर, सभी ताज़ा खबरें और ऐड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें जानकारी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित नई गाइडलाइन में जिले की कई लोकेशन पर प्रॉपर्टी रेट बढ़ने वाले हैं। औसतन 10 से 12 प्रतिशत तक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है, जबकि कुछ इलाकों में यह बढ़ोतरी 30त्न से लेकर 150त्न तक हो सकती है। ऐसे में लोग मौजूदा दरों पर ही रजिस्ट्री कराने के लिए बड़ी संख्या में पंजीयन कार्यालय पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्र के चलते भी प्रॉपर्टी बाजार में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मान्यता के अनुसार इस दौरान संपत्ति खरीदना शुभ माना जाता है, जिसका असर रजिस्ट्री कार्यालयों में साफ नजर आ रहा है। सुबह से लेकर देर शाम तक लोगों की कतारें लगी हुई हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अवकाश के दिनों में भी रजिस्ट्री कार्यालय खोलने का फैसला किया। शनिवार और रविवार को भी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रियां की गईं। कर्मचारियों को अतिरिक्त समय तक काम करना पड़ा, वहीं सर्वर पर भी दबाव बढ़ा। इस दौरान फ्लैट, प्लॉट, डुप्लेक्स, फार्म हाउस और कृषि भूमि हर श्रेणी की प्रॉपर्टी की खरीदारी हो रही है। खासकर शहर के विस्तार वाले इलाकों में निवेशकों की रुचि ज्यादा देखी जा रही है। रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों को कहना है कि रेट बढ़ाने वाले हैं इसलिए ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं हालांकि उनका कहना कि नवरात्र में लोग प्रॉपर्टी खरीदी ज्यादा करते हैं। रजिस्ट्री की बढ़ती संख्या के चलते सरकार के राजस्व में भी बड़ा इजाफा हुआ है।

नवरात्र के शुरुआती 8 दिनों में ही हजारों रजिस्ट्रियां दर्ज की गई, जिस से करोड़ों रुपए की आमदनी हुई है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महज 8 दिनों में रजिस्ट्री कार्यालयों में कुल 4979 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रियां दर्ज की गईं। इससे सरकार को करीब 119.2 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। अगर औसतन देखा जाए तो प्रतिदिन लगभग 14.9 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जो प्रॉपर्टी बाजार में बढ़ती गतिविधियों और निवेश के उत्साह को साफ दर्शाती है।

भोपाल में निर्माणाधीन बिल्डिंग का छज्जा गिरा, आठ घायल

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

भोपाल में शुक्रवार एम्स के सामने एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का छज्जा गिर गया। हादसे में नीचे खड़े करीब 8 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार यह सडाना मेडिकल स्टोर की चार मंजिला इमारत बन रही है। नीचे मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा था। एम्स में आए मरीज और उनके परिजन दवाई लेने के लिए यहां पहुंचे थे, तभी यह हादसा हो गया। हादसे के बाद एम्स में कुल आठ घायल पहुंचे थे। इनमें से तीन को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि पांच मरीज अभी भी भर्ती हैं। इनमें 23 साल की नंदिनी की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें एम्स भोपाल के ट्रॉमा ब्लॉक के रेड ट्रायज में भर्ती किया गया है। नंदिनी के शरीर पर एंगल लगने से गहरा घाव हुआ है। फिलहाल डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा अवैध है और नगर निगम को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। करीब 35 साल पुराना भवन है। यहां मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा है। इसके ठीक ऊपर 3 मंजिल का और निर्माण चल रहा है। जो सेटिंग, छज्जा गिरा है,वो काफी बाहर निकला हुआ था। यह शेड के ऊपर गिरा है। इससे शेड भी ढह गया। करेली निवासी नंदिनी (23) को गंभीर चोट आई है। लोहे का एंगल उनके पैर में घुस गया था। सिर और हाथ में भी गहरे घाव हैं। उनका सीटी स्कैन कराया जा रहा है। वे ओपीडी में दिखाने के बाद दवा लेने मेडिकल स्टोर पहुंची थीं। हादसे के बाद नगर निगम भी एक्शन मोड में आ गया है। बिल्डिंग निर्माण के लिए रेत, सरिया सहित अन्य सामग्री सड़क पर रखी गई थी, जिसे नगर निगम की टीम जब्त कर रही है। पूरी बिल्डिंग किसी कविता मैडम की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जिस जगह हादसा हुआ, वहां शेड था। इससे लोग बच भी गए। यदि मलबा सीधे नीचे आता तो जान भी जा सकती है।

रामनवमी पर भोपाल भक्तिमय: ढाई हजार से ज्यादा भंडारे

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

रामनवमी के अवसर पर राजधानी भोपाल इस बार भक्ति और उत्सव के रंग में पूरी तरह सराबोर रहेगा। शहर में करीब 2500 से 3000 स्थानों पर भंडारों का आयोजन होगा, वहीं मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और भव्य कार्यक्रम दिनभर चलते रहेंगे।हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि इस बार भोपाल में राम जन्मोत्सव बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। शहर के न्यू मार्केट, पुराने भोपाल के प्रमुख राम मंदिरों और जहां-जहां भगवान राम के मंदिर हैं, वहां विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दोपहर 12 बजे भगवान राम के जन्म का मुख्य आयोजन होगा। इस दौरान मंदिरों में भोग, आरती और जन्मोत्सव का उल्लासपूर्ण आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। समिति के अनुसार, शहर के अलग-अलग इलाकों में हजारों भंडारे आयोजित किए जाएंगे, जहां श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। इससे पूरे भोपाल में सेवा और भक्ति का माहौल बनेगा। रामनवमी पर भवानी चौक सोमवारा क्षेत्र से घोड़ा निकास के साथ भव्य जुलूस निकलेगा। इसके अलावा शहर के अन्य हिस्सों में भी कई शोभायात्राएं आयोजित होंगी। जुलूस में आकर्षक झांकियां, भजन-कीर्तन और पारंपरिक प्रस्तुतियां खास आकर्षण रहेंगी। खेड़ापति मंदिर, सब्जी मंडी क्षेत्र सहित शहर के प्रमुख मंदिरों में सजावट, लाइटिंग और भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। गर्मी को देखते हुए व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया गया है। आयोजकों के मुताबिक, इस बार रामनवमी पर भोपाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी और पूरा शहर भक्ति, उत्साह और सेवा भाव से सराबोर नजर आएगा।

एमपी में पारा 41 डिग्री पार अब मौसम का पलटवार

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मध्य प्रदेश में मार्च के आखिरी सप्ताह में मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा दिया है, वहीं दूसरी ओर अचानक मौसम के बदलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को ग्वालियर समेत सात जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह मार्च महीने में तीसरी बार होगा जब प्रदेश में मौसम इस तरह करवट लेगा। प्रदेश में इस सीजन पहली बार तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा है। नर्मदापुरम में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। इसके अलावा ग्वालियर में 38.6 डिग्री, भोपाल में 37.4 डिग्री, इंदौर में 37.2 डिग्री और उज्जैन में 37.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। कई अन्य जिलों में भी पारा 37 से 39 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिससे दिन में तेज गर्मी का अहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जिलों में शुक्रवार को तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अचानक मौसम बदलने से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

वन्यजीवों को बेचा, खरीदा या पाला तो सात वर्ष की जेल

313 कछुए जब्त करने के बाद वन विभाग की चेतावनी

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मध्यप्रदेश में प्रतिबंधित वन्यजीवों की अवैध बिक्री और पालन को रोकने के लिए वन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने साफ कहा है कि ऐसे मामलों में कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में फरवरी 2026 में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 313 जीवित कछुए जब्त किए गए थे। ये कछुए अनुसूची-1 प्रजाति के थे, जिनका व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और एक संगठित गिरोह का भी खुलासा हुआ। वन विभाग ने बताया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रतिबंधित जीवों का शिकार करना, खरीदना, बेचना, पालना या उनका परिवहन करना अपराध है। इसके बावजूद कुछ पेट शॉप और एक्वेरियम दुकानों में कछुए, पक्षी और अन्य जीवों की अवैध बिक्री की शिकायतें मिल रही हैं। विभाग ने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति किसी भी प्रतिबंधित प्रजाति का व्यापार न करें और अपने पास मौजूद जीवों के सभी जरूरी दस्तावेज रखें। साथ ही सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे जीवों की बिक्री या प्रचार करने से भी मना किया गया है। आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे प्रतिबंधित वन्यजीवों को न खरीदें और न ही घर में पालें। अगर कहीं ऐसी गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत वन विभाग या पुलिस को सूचित करें। इसके लिए वन विभाग ने टोल-फ्री नंबर 0755-2524000 भी जारी किया है। वन विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एल. कृष्णामूर्ति ने नागरिकों, दुकानदारों और मीडिया से वन्यजीवों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है।

स्कूलों में ही बनेंगे और अपडेट होंगे आधार कार्ड, एक अप्रैल से शुरू होगा विशेष अभियान

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

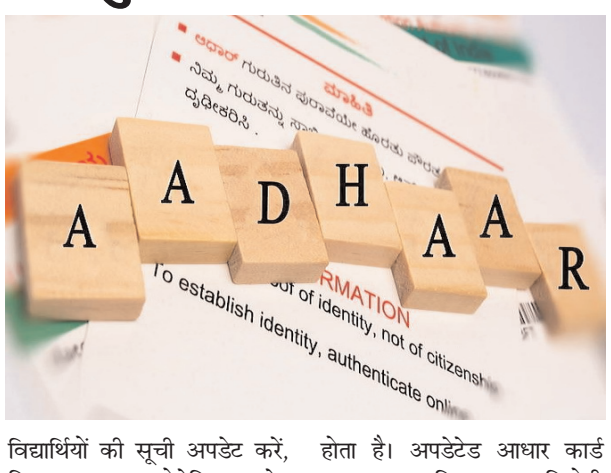

मध्यप्रदेश के स्कूलों में अब विद्यार्थियों के आधार कार्ड से जुड़े काम वहीं पूरे किए जाएंगे। इसके लिए 1 अप्रैल से 15 मई 2026 तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे, ताकि बच्चों को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। राज्य शिक्षा केंद्र और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यूआईडीएआई के सहयोग से 'विद्यार्थियों के लिए आधार, अब स्कूल के द्वार' अभियान का अगला चरण शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लंबित बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) को पूरा करना है। इस पहल के तहत स्कूलों में ही आधार नामांकन और अपडेट की सुविधा मिलेगी। करीब 500 से अधिक ऑपरेटर्स को इसके लिए नियुक्त किया गया है। स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यूडीआईएसई-प्लस पोर्टल पर ऐसे विद्यार्थियों की सूची अपडेट करें, जिनका आधार बायोमेट्रिक अपडेट लंबित है, और उनके लिए रोस्टर तैयार करें। बच्चों के लिए दो बार बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी होता है। पहला 5 साल की उम्र में और दूसरा 15 साल की उम्र में। 15 से 17 वर्ष के बीच यह अपडेट मुफ्त है, जबकि इसके बाद शुल्क देना होता है। अपडेटेड आधार कार्ड स्कूल एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं के लिए जरूरी है। साथ ही, इससे छात्रों की अपार आईडी बनाना भी आसान हो जाता है, जिसमें उनके सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहते हैं।

भोपाल में 15 एकड़ गेहूं की फसल आग से हुई राख

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

भोपाल के कुठार गांव में शुक्रवार को खेत में गेहूं की 15 एकड़ फसल आग में जलकर राख हो गई। जिन खेतों में आग लगी, उसके आसपास सैकड़ों एकड़ जमीन है और गेहूं की फसल खड़ी हुई थी। आग वहां तक न पहुंचे, इसलिए 50 से ज्यादा लोग दौड़ पड़े। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से पानी लाकर उन्होंने आग पर काबू पाया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट भी आग को काबू करने के लिए मशक्कत करते हुए नजर आए। उपाध्यक्ष जाट ने बताया कि आगजनी की घटना शुक्रवार की दोपहर में हुई। यदि समय रहते आग काबू में नहीं आती तो बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि इन खेतों से ही आसपास के 4 से 5 गांव के किसानों के खेत लगे हुए हैं। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। तेज हवा की वजह से आग तेजी से फैल रही थी। इससे पहले गुरुवार की देर रात जिला प्रशासन ने भोपाल में पराली जलाने पर रोक लगा दी। एडीएम सुमित कुमार पांडेय ने आदेश जारी किया। इसके मुताबिक, अगले 3 महीने तक पराली यानी, नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने पर थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश का पालन करते हुए यह रोक लगाई गई है, जो पूरे भोपाल जिले में लागू रहेगी। एडीएम पांडेय ने सभी एसडीएम को पराली जलाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

ईदगाह मस्जिद में टावर पर बवाल: AIMIM ने रोका काम

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

भोपाल की ऐतिहासिक ईदगाह मस्जिद की पार्किंग में मोबाइल टावर निर्माण को लेकर शुक्रवार को विवाद की स्थिति बन गई। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर काम का विरोध किया और वहां काम कर रही लेबर को रोक दिया। बताया जा रहा है कि यह निर्माण कार्य सभी आवश्यक अनुमति के साथ किया जा रहा था और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने भी इसकी मंजूरी दी है। इसके बावजूद बिना अनुमति धरना प्रदर्शन की कोशिश को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान और कार्यकर्ताओं की पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस हो गई।

कार्यालय प.ह.नं.-38 मुख्यालय सेवनिया ओंकारा रा.नि.मं-04 बिलखिरिया तहसील-हुजूर जिला- भोपाल (म.प्र.)

रा.प्र.क्र. 0189/अ-3/25-26
ग्राम का नाम-सेवनिया ओंकारा
प.ह.नं- 38 तहसील हुजूर जिला-भोपाल

-: सूचना पत्र :-

प्रति,
1. सत्येन्द्र शुक्ला पुत्र जी पी शुक्ला एवं प्रज्ञा शुक्ला पत्नी सत्येन्द्र शुक्ला निवासी एच आई जी 52 बी 3 साकेत नगर भोपाल मध्यप्रदेश। 2. जयशंकर शुक्ला पुत्र बी एन शुक्ला निवासी एच 249 के सेक्टर अयोध्या नगर भोपाल मध्यप्रदेश। 3. सुनील साहू पुत्र श्री जमना प्रसाद साहू निवासी 04 भवानी धाम अयोध्या नगर भोपाल मध्यप्रदेश । 4. अंकित कुमार सिंह पुत्र मलखान सिंह व रवि कुमार सिंह राहुल सिंह पुत्रगण मलखान सिंह निवासी-83 शिवलोक फेस 1 खजूरी कलां भोपाल मध्यप्रदेश। 5. जॉन वर्गीस पुत्र के जे वर्गीस एवं श्रीमती विन्दु जॉन प ी जॉन वर्गीस निवासी बी 159 न्यू मिनाल रेसीडेन्सी जे के रोड़ भोपाल मध्यप्रदेश। 6. रीना चौधरी पत्नी कुमार संभव चौधरी निवासी 123 सुरभि मोहनी होम्स बरखेड़ा पठानी भोपाल मध्यप्रदेश। 7. प्रकाश टिटारे पुत्र टी सी टिटारे निवासी बी 36 मिनाल रेसीडेंसी जे के रोड़ भोपाल मध्यप्रदेश। 8. देवेन्द्र कुमार लखन सिंह जितेन्द्र यादव पुत्रगण स्व. दुलीचन्द यादव निवासी 26 चर्च के पास बडा मोहल्ला रायसेन रोड़ भोपाल मध्यप्रदेश। 9. शतदल राय पुत्र बृजेश राय निवासी ए 66 मिनाल रेसीडेंसी जे के रोड़ भोपाल मध्यप्रदेश। 10. मीनेश सिंह पत्नी श्री रविन्द्र कुमार निवासी 94/93 साकेत नगर भोपाल मध्यप्रदेश। 11. नीरज मलिक पत्नी सत्येन्द्र सिंह मलिक निवासी पूरनपुरा विदिशा मध्यप्रदेश। 12. श्रीमती उर्मिला कुमारी पत्नी स्व श्री रामनरेश चौधरी निवासी एच आई जी 183 युगान्तर कॉलोनी पोस्ट बरखेड़ा भेल भोपाल मध्यप्रदेश। 13. समस्त मेढिया कृषक एवं ग्राम चौकीदार।

0 एतद्‌ द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती उर्मिला कुमारी पत्नी स्व. श्री रामनरेश चौधरी निवासी एच आई जी 183 युगान्तर कॉलोनी पोस्ट बरखेड़ा भेल भोपाल द्वारा ग्राम सेवनिया ओंकारा प.ह.नं- 38 तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा नंबर 330/3/4 रकबा 0.070 हे. भूमि नक्शा बटान किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि मौका निरीक्षण कर उक्त नक्शा बटान तैयार किया जाना है। अतः आप उक्त कार्यवाही दिनांक 30/03/2026 को समय दोपहर 03:00 बजे स्थल पर उपस्थित रहे। आवेदक एवं हितबद्ध पक्षकार होने के कारण एवं उक्त भूमि का नक्शा बटान से कोई आपत्ति हो तो, नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व एवं आनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित हो। अनुपस्थिति की दशा में शासकीय कार्य रोका नहीं जायेगा।

आज दिनांक 26/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया। नोट- अपरिहार्य कार्य की वजय से तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा।

**पटवारी, प.ह.नं.
रा.नि.मं 04 बिलखिरिया
तहसील- हुजूर जिला-भोपाल**

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

**प्रकरण क्रमांक 8760/अ-6/25-26
मौजा-बरखेड़ा सालम तहसील हुजूर, भोपाल**

उद्घोषणा पत्र

एतद्‌ द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती र अवस्थी पत्नी श्री एम पी अवस्थी निवासी आई जी 13 शास्त्री नगर जवाहर चौक भोपाल मप्र, ने द्वारा म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्र.- 4/4189 दिनांक 13/03/2013 के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 524 कुल रकबा मे से 1000 वर्गफिट भूमि ग्राम बरखेड़ा सालम प.ह.न. 56 तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 02/04/26 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 15/03/26 को जारी किया गया।

**तहसीलदार
तहसील-हुजूर भोपाल**

क्रेडिट बंद होने से पेट्रोल पंपों पर संकट

कई जगह आपूर्ति प्रभावित, भोपाल में 10 से अधिक पंप ड्राई

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई की आंच अब धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। गैस के बाद अब डीजल-पेट्रोल की किल्लत की अफवाहों के कारण पंपों पर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। लोग अपनी टंकी फुल करा रहे हैं। ऐसे में खपत बढ़ने से पेट्रोल पंपों पर भी असर पड़ रहा है। इस बीच, मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप संचालकों को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधा अचानक बंद कर दी गई है, जिससे हालात बिगड़ने लगे हैं। पहले पंप संचालकों को 8 से 10 दिनों की उधारी पर पेट्रोल-डीजल मिलता था, लेकिन इस व्यवस्था को खत्म करने के बाद कई पंपों पर ईंधन की उपलब्धता प्रभावित हुई है। जानकारी के अनुसार, पंप संचालकों को अब अग्रिम भुगतान के आधार पर ही ईंधन मिल रहा है, जबकि सरकारी विभागों और अन्य उपभोक्ताओं से भुगतान अक्सर देर से मिलता है। इस वजह से संचालकों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है और कुछ स्थानों पर पंप अस्थायी रूप से बंद रखने की स्थिति भी बन गई है। इस मुद्दे को लेकर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएं रखी हैं। उन्होंने बताया कि बिना किसी स्पष्ट कारण के क्रेडिट सुविधा समाप्त करने से सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। साथ ही, सरकारी सप्लाई और अन्य बकाया भुगतान समय पर न मिलने से स्थिति और जटिल हो रही है। प्रशासनिक स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। जिला प्रशासन और राज्य स्तर के अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोलियम कंपनियों और संबंधित विभागों से चर्चा कर जल्द समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य और केंद्र स्तर पर बातचीत के बाद जल्द ही कोई रास्ता निकलेगा, जिससे पेट्रोल पंपों पर सामान्य स्थिति बहाल हो सके।